जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 78 लीटर अवैध कच्ची शराब व 84 पव्वें अवैध देशी शराब तथा उपकरण समेत कुल 04 अभि0गण को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में चलाये जा रहे अवैध शराब की तस्करी / निष्कर्षण /क्रय-विक्रय के विरुद्ध अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 28.3.2021 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मुनेंद्र यादव पुत्र राजेंद्र यादव नि0 ग्राम नौली हरनाथपुर थाना वजीरगंज जनपद बदायूं को 84 पव्वें अवैध देशी शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 102/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम तथा थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त श्यामवीर जाटव पुत्र रामप्रसाद नि0 ग्राम पिपला थाना हजरतपुर जनपद बदायूं को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

उपरोक्त अभियान में ही थाना हजरतपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त सत्यपाल पुत्र हरपाल नि0 ग्राम कलेक्टर नंगला थाना हजरतपुर जनपद बदायूं को 40 ली0 अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर 80 लीटर लहन को नष्ट किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 41/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम तथा थाना उसहैत पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रवण पुत्र टीकाराम नि0 ग्राम बारी खेड़ा थाना उसहैत जनपद बदायूं को देशी शराब बनाते हुए एक पिपिया में करीब 18 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया गया । उपरोक्त के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद बदायूं ।